

राजस्थान सरकार  
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

क्रमांक:-प.22 / निकृषि / ई-नाम / एसएफएसी / 2020 ) ५७ दिनांक: ०७.०५.२०२०

निदेशक,

लघू कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC),  
5 तल एनसीयूआई, अगस्त क्रांती मार्ग,  
हौज खास, नई दिल्ली-110016,

E-Mail- sfac@nic.in

**विषय:**—ई-नाम पोर्टल पर राजस्थान की सहकारी संस्थाओं यथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों व तिलम संघ को ई-नाम पोर्टल पर दर्ज कराने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य की सहकारी संस्थाओं यथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों व तिलम संघ को सब मण्डी यार्ड घोषित किया गया है। इन संस्थाओं को ई-नाम पोर्टल पर ऑनलाईन व्यापार के लिए अनुमति दिया जाना आवश्यक है। ई-नाम पोर्टल पर इन संस्थाओं को व्यापार की अनुमति दिए जाने से ई-नाम का गांवों ता प्रचार-प्रसार होगा तथा इससे संबंधित किसान एवं व्यापारी लाभान्वित होंगे।

इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली भी कृषि उपज मण्डी समितियों की तरह होगी, यहां किसान एवं FPO's अपनी कृषि जिंसों को ला सकेंगे तथा गेट एंट्री, परख इत्यादि के पश्चात् व्यापारी उपज की बोली लाकर कृषि जिंसों का व्यापार कर सकेंगे।

अतः ई-नाम पोर्टल पर सहकारी संस्थाओं तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों तिलम संघ को (Configure) कराये जाने का श्रम करावें।

२३

(ताराचन्द मीणा)

निदेशक

कृषि विपणन

प्रतिलिपि सूचनार्थ (व्यं वालनार्थ) :-

२३ अप्रैल २०२० (राजराजन) भी रविचंद्रा, नागार्जुना, फॉर्डला, इर्जस

Okey Roheka  
२४/८